राजभाषा पत्रिका

प्रथमांक 2022

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राजभाषा पत्रिका

प्रथमांकः सितम्बर–2021

सम्पादक मंडल

संरक्षक एवं अध्यक्ष

(1) प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी

अध्यक्ष, रा.अ.शि.प.

(2) श्रीमती केसांग यांगजोम शेरपा

सदस्य सचिव,रा.अ.शि.प

मुख्य सम्पादक

डा. अखिल कुमार श्रीवास्तव

अवर सचिव (रा.भा.)

सम्पादक

(1) श्री अभिमन्यु यादव

अनुभाग अधिकारी

(2) श्री उमेश कुमार

अनुभाग अधिकारी

(3) श्रीमती दिनेश कुमारी

नोडल अधिकारी (रा.भा.)

(4) श्री एस.पी.उनियाल

परामर्शदाता (रा.भा.)

(5) श्री रितेश कुमार सिंह

डीईओ

विषय–सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1.	संदेश– माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी	1
2.	संदेश– अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई.	2
3.	संदेश– सदस्य सचिव, एन.सी.टी.ई.	3
4.	सम्पादक की कलम से	4
5.	रा.अ.शि.प.– एक परिचय	5–6
6.	परिषद् में हिन्दी के बढ़ते कदम– श्रीमती दिनेश कुमारी	7–9
7.	समाज में एक प्रतिशत योगदान का महत्व– विजेंदर कुमार	10
8.	सकारात्मक सोच और सदा खुश रहें– डी.एन. झा	11
9.	मानव की दुर्दशा (कविता)– मंजू रावत	12
10.	माँ तू ऐसी क्यों है (कविता)– काजल खन्ना	13
11.	‘‘हौसला’’ (कविता)– आशा/उमेश कुमार	14
12.	नज्म– अनिल कुमार	15
13.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की राजभाषा संबंधित गतिविधियाँ (सचित्र)	16–20

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

सत्यमेव जयते

मंत्री
शिक्षा; कौशल विकास
और उद्यमशीलता
भारत सरकार
Minister
Education; Skill Development
& Entrepreneurship
Government of India

संदेश

मनुष्य के भावों, विचारों, अनुभवों एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित की है। किसी भी सुदृढ़, सक्षम एवं मज़बूत राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समर्थ है।

मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादी वर्चस्व के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को लेकर विकसित हुई हिन्दी भाषा ने तमाम चुनौतियों एवं संकटों पर पार पाते हुए आज विश्वपटल पर अपना गौरवपूर्ण स्थान निर्मित किया है। अपनी व्यापकता एवं उदारता के कारण हिन्दी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। हिन्दी भाषा में सृजित रचनात्मक एवं ज्ञानात्मक साहित्य किसी भी अन्य वैश्विक भाषा से कमतर नहीं है। हिन्दी भाषा की संरचना एवं प्रकृति इतनी उदार है कि वह दूसरी भाषा के गुण-धर्म एवं संरचना तथा युग-सापेक्ष हुए तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को विकसित करती हुई, उन्हें आत्मसात कर लेती है। हिन्दी के इसी गुण की ओर संकेत करते हुए वरिष्ठ हिन्दी कवि गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है –

"सागर में मिलती धाराएँ, हिन्दी सबकी संगम है,
शब्द, नाद, लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है।
गंगा-कावेरी की धारा, साथ मिलाती हिन्दी है,
पूर्व-पश्चिम, कमल-पंखुरी, सेतु बनाती हिन्दी है ॥"

हिन्दी की इस सामासिक एवं समावेशी प्रकृति के कारण ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हमें यह दायित्व सौंपा है कि हम हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली एवं पदों को आत्मसात करते हुए, संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें।

संविधान द्वारा प्रदत्त इस दायित्व का हमें उत्कृष्टता से निर्वहन करना है। साथ ही, सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में हिन्दी को हमें विभिन्न 'ई-टूल्स' के साथ भी जोड़ना है। मैं हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और उससे सम्बद्ध सभी कार्यालयों से आह्वान करता हूँ कि वे हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धि एवं विकास के लिए पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से कार्य करें।

हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ !

जय हिन्द !
नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2021

धर्मेन्द्र

(धर्मेन्द्र प्रधान)

प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी
अध्यक्ष

सन्देश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की ओर से एक राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन किया जाना अति सराहनीय कार्य है। इस पत्रिका में राजभाषा हिन्दी की गतिविधियों की जानकारी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वरचित आलेख, कविताएं आदि प्रकाशित होंगी, जिससे लोगों में हिन्दी में कार्य करने की जागरूकता बढ़ेगी और साथ ही लोगों में रचनात्मक अभिरुचि विकसित होगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मामले में अपने कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों, क्षेत्रीय समितियों में इसे तत्परता से लागू करने के भरसक प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में निरन्तर प्रगति हो रही है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से सम्पादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

केसांग यांगजोम शेरपा
सदस्य सचिव

सन्देश

परिषद् की 'राजभाषा पत्रिका' का प्रकाशन अति प्रशंसनीय कार्य है, इससे पूरे कार्यालय में हिन्दी का प्रसार और प्रयोग बढ़ेगा और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे लोग हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् देश में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा में अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा का विशिष्ट महत्व है। पूरे देश में शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा तथा उच्च स्तर पर अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए तभी बच्चे, छात्र–छात्राएं शिक्षा को वास्तविक रूप में ग्रहण करने में सक्षम होंगें।

भारतीय संविधान में **हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया** है, यानी हमारे समस्त राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग हो। हिन्दी को राजभाषा इसलिए बनाया गया कि देश के अधिकांश प्रदेशों की भाषा हिन्दी है और गैर–हिन्दी भाषी राज्यों में भी लोग हिन्दी को समझते और बोलते हैं। अब तो हिन्दी का प्रचार–प्रसार पूरे देश में व्यापक स्तर पर हो गया है। उदाहरण के तौर पर एक बंगलाभाषी यदि मराठी भाषी से संपर्क करता है तो वह हिन्दी में ही बात करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी अपनी स्थानीय भाषाएं हैं किन्तु वहां भी लोग हिन्दी समझते और बोलते हैं। अन्य राज्यों के लोगों से वे हिन्दी में ही वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार **हिन्दी सारे देश की सम्पर्क भाषा** भी है। हिन्दी की लिपि देवनागरी है और जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिन्दी की इसी विशेषता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था।

अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। हिन्दी के विकास व संवर्धन के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकारी आदेशों का अनुपालन करना उच्च अनुशासन की श्रेणी में आता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कार्यालय में अधिकांश कार्य हिन्दी में करके राजभाषा का सम्मान बढ़ाते रहें।

राजभाषा पत्रिका प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

सदस्य सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

डा. अखिल कुमार श्रीवास्तव
अवर सचिव (रा.भा.)

सम्पादक की कलम से

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की एक लघु पत्रिका 'राजभाषा पत्रिका' का प्रकाशन राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का ही एक हिस्सा है। कार्यालय से हिन्दी प्रकाशनों का विशेष महत्व होता है। भारत सरकार के सभी कार्यालयों से राजभाषा पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। हिन्दी राजभाषा की गतिविधियों की जानकारी, स्वरचित लेखों, कविताओं आदि से रचनात्मक विचार–भाव उत्पन्न होते हैं और हमारी रचनात्मक सामर्थ्य बढ़ती है तथा हम अपनी राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की निम्न पंक्तियां अति प्रेरणादायक हैं:

अंग्रेजी पढ़िके जदपि सब गुन होत प्रवीन।

पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।।

परदेशी की बुद्धि अरु वस्तु की कर आस।

परबस है कब लौ कहाँ रहिहौ तुम है दास।।

भारतीय संविधान की धारा 343 में प्रावधान है कि संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी एवं संघ के काम–काज में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान ने जिस हिन्दी को मान्यता दी है, वह हिन्दी नहीं बल्कि राजभाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषा अपने उद्भव काल से ही सार्वदेशिक भाषा रही है। देश के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार किया गया है। आज हिन्दी पूरे देश की सम्पर्क भाषा बन गई है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी को देश की मानक भाषा एवं सर्वमान्य भाषा के रूप में पूर्ण समर्थन भी दिया गया। हिन्दी ऐसी समर्थ भाषा है कि एक ओर जिसमें लाखों शब्दों का भंडार है, वहीं दूसरी ओर विश्वबंधुत्व की सारी अपेक्षाएं उसमें मौजूद हैं। इसके बोलने वालों की संख्या 75 करोड़ से अधिक है और यह विश्व के लगभग 50 देशों में फैली हुई है। विश्व के लगभग 140 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई हो रही है। कई देश हिन्दी भाषा के माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं, जैसे– मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल आदि। दूसरी विशेषता हिन्दी की यह है कि यह देश के एकीकरण की भाषा है। इस देश को जिन आदर्शों की आज आवश्यकता है, उनकी बहुत बड़ी धरोधर हिन्दी के पास उपलब्ध है। हिन्दी जनतंत्र की आधारशिला है। यह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का एक प्रमुख साधन है।

हिन्दी के अनुप्रयोग में सबसे बड़ी समस्या मनोवैज्ञानिक है। किसी भी काम को करने से पहले संकल्प की आवश्यकता का एहसास होता है। हम लम्बे समय तक अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त रहे हैं और इस संस्कार में रहने के बाद हिन्दी उसका स्थान नहीं ले पा रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अंग्रेजी से हिन्दी की ओर आने में आदत बदलने जैसी हालत है। मनुष्य की आदत बदलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसको बदलने के लिए पहले हिन्दीमय वातावरण बनाना होगा। अपनी भाषा के प्रति प्रेम तो सभी का होता है, मगर कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा में अभ्यस्त होने की जरूरत है। कोई नया काम करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम तो करना ही होता है। अंग्रेजी में वही घिसी–पिटी शब्दावली और वाक्य रचना है। जो फाइलों में पिछले संदर्भ देखकर आसानी से नया संदर्भ तैयार कर लिया जाता है, हिन्दी में नये सिरे से काम करना होगा। नई शब्दावली, नई लिपि और वाक्य रचना दिमाग में बिठाने की आवश्यकता होगी। थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करने से हम अपनी राजभाषा में कार्यालय का काम–काज कर सकते हैं।

इस राजभाषा पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य यही है कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा के हर पहलू की जानकारी मिल सके और उनमें रचनात्मक विचार, भावों की अभिवृद्धि हो सके।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक परिचय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) भारत सरकार के शिक्षा विभाग का एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना देशभर में अध्यापक शिक्षा के नियोजित व समन्वित उन्नति करने के विस्तृत अधिदेश के साथ संसद के अधिनियम (1993 की धारा 73) के अन्तर्गत हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 17 अगस्त, 1995 में कार्य करना प्रारंभ किया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस परिषद् की चार क्षेत्रीय समितियां हैं, जिनमें तीन यानी पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रीय समितियां परिषद् के मुख्यालय भवन में तथा पूर्वी क्षेत्रीय समिति का कार्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। वह मुख्यालय भी शीघ्र ही, नई दिल्ली में हस्तांतरित हो जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करने का अधिदेश प्राप्त हैः

- देश में अध्यापक शिक्षा को समन्वित करना तथा इसका अनुश्रवण व विकास करना।
- अध्यापक शिक्षा में किसी विशिष्ट श्रेणी वाले पाठयक्रमों या प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना, जिसमें छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के मापदंड तथा अभ्यर्थी के चयन की पद्धति, पाठयक्रम की अवधि, पाठयक्रम की विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या की विधि का निर्धारण भी शामिल है।
- मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा नए पाठयक्रमों या प्रशिक्षण शुरू करने के मामलों में उनके अनुपालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना तथा उनके लिए भौतिक व अनुदेशात्मक सुविधाएं निर्धारित करना, स्टाफ व्यवस्था एवं स्टाफ की योग्यताएं निर्धारित करना।
- अध्यापक शिक्षा योग्यता से संबंधित परीक्षाओं के बारे में मानक निर्धारित करना, ऐसी परीक्षाओं तथा पाठयक्रम योजनाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रविष्ट होने के लिए मापदंड निर्धारित करना।
- मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों, दिशानिर्देशों और मानदंडों के कार्यान्वयन संबंधी समय–समय पर परीक्षण और समीक्षा करना तथा मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं को उचित सलाह देना।
- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों के लिए संस्तुतियां करना।

- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाओं का प्रवर्तन करना तथा अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं की पहचान करना और नयी संस्थाओं को स्थापित करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना एवं उनके परिणामों को प्रकाशित करना।
- अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना।
- अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को उनके उत्तरदायित्व को समझाने के लिए उपयुक्त कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, मानक और तंत्र विकसित करना।
- विद्यालयों या मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को अध्यापक के पद पर चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्वेष और अनुसंधान को बढ़ावा देना, सम्पन्न करना एवं उनके परिणामों को प्रसारित करना।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- देश के समस्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 'नई शिक्षा नीति 2021' के अनुरूप शिक्षण कार्य कराना।

हिन्दी ही वह भाषा है, जिसमें दो विभिन्न प्रान्तों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, यह भारत में सर्वत्र समझी और बोली जाती है, क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्दकोष सबकी सम्मिलित सम्पत्ति है।

डॉ.गियर्सन
भाषा विज्ञानी

परिषद् में हिन्दी के बढ़ते कदम

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के सन्दर्भ में (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) लगातार प्रयासरत है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा संबन्धी गतिविधियों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। अनुभागों/प्रभागों आदि में हिन्दी में काम करने की कठिनाइयों, समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में नियमित रूप से कार्य किया जा रहा हैः

1. रा.अ.शि.प. में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। इसका प्रभार अवर सचिव (रा.भा.) को दिया गया है, साथ ही एक नोडल अधिकारी (रा.भा.) की तैनाती की गई है, जो राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी तरह के कार्य करती हैं। एक सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी को संविदागत आधार पर परामर्शदाता (रा.भा.) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो समस्त कार्यान्वयन कार्यों व अनुवाद कार्य में सहायता करते हैं।
2. रा.अ.शि.प. में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के साठ–प्रतिशत उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।
3. लगभग सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर और हिन्दी फ़ॉंट की व्यवस्था की गई है। सभी अनुभाग अपना हिन्दी सम्बन्धी कार्य स्वयं कर रहे हैं।
4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हर तिमाही में नियमित रूप से हो रही हैं, जिसमें राजभाषा कार्यन्वयन कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा पारस्परिक विचार–विमर्श से कमियों को पूरा करने के उपाय सुझाए जाते हैं एवं सरकार के राजभाषा निर्देशों के अनुपालन के लिए संस्तुतियां व निर्णय लिए जाते हैं और उन पर पूरी कार्रवाई की जाती है।
5. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के समुचित अनुपालन के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थापना अनुभाग से सभी प्रकार की रिक्तियों के विज्ञापन अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही प्रकाशित होते हैं। इस धारा के अन्तर्गत आने वाले कागजात भी द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राजभाषा अनुभाग इस कार्य में सहायता करता है।
6. मूल पत्राचार में हिन्दी प्रयोग में अभी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, किन्तु इनका निराकरण करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

7. परिषद् में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता अथवा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तथा इस कार्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में पहले ही नियम 8 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। 3–4 अनुभागों को हिन्दी में साठ–प्रतिशत कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, तथापि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में अभी भी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं।
8. हिन्दी प्रशिक्षण के मामले में परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। इसी तरह टंकण/आशुलिपि में भी प्रशिक्षण दिलाया गया है।
9. परिषद में अधिकांश रबड़, मोहरें, नामपट्ट, शीर्षक पत्र आदि द्विभाषी हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार इन्हें द्विभाषी बनाने का प्रयास जारी है।
10. सभी प्रकार के प्रपत्र, फार्म आदि द्विभाषिक हैं।
11. भारत सरकार की राजभाषा नकद पुरस्कार योजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। जो कर्मचारी हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करते हैं उनके लिए नियमानुसार नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।
12. फाइलों में टिप्पण–प्रारूप लेखन हिन्दी में किये जाने के मामले में प्रयास किया जा रहा है और इसमें प्रगति हो रही है।
13. राजभाषा के सुचारु कार्यान्वयन के लिए परिषद् को वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शील्ड प्रदान की गई।
14. हर वर्ष सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़े का सफल आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करके विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।
15. परिषद् में नियमित रूप में **हिन्दी कार्यशालाओं** का आयोजन किया जाता रहा है किन्तु कोविड–19 महामारी के कालखंड में कार्यशालाएं करना संभव नहीं था तो **हिन्दी वेबिनारों** का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिससे परिषद् के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित हो रहे हैं।
16. सभी प्रकार की बैठकों में विचार–विमर्श हिन्दी में ही किया जाता है, कुछ बैठकों के कार्यवृत्त भी हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप मे जारी किए जाते हैं।

17. परिषद् मुख्यालय से अनेक हिन्दी प्रकाशन निकलते हैं जैसे अन्वेषिका, अध्यापक साथी, श्रीमॉ का शिक्षा दर्शन, पर्यावरण शिक्षा और योग शिक्षा मॉड्यूल आदि। अभी भी एक राजभाषा पत्रिका प्रकाशन की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

<u>कुछ आवश्यक सुझाव</u>

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का साठ–प्रतिशत अनुपालन आवश्यक है, इसलिए सभी अनुभाग, क्षेत्रीय समितियां सभी तरह के कार्यालय आदेश, परिपत्र, सूचना, अधिसूचना, निविदा सम्बन्धी कागजात आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप मे ही जारी करें। केवल अंग्रेजी में जारी करना इस अधिनियम का उल्लंघन है।
2. मूल पत्राचार मुख्य रूप से 'क' क्षेत्र के लिए हिन्दी में ही जारी किया जाय, क्योंकि 'क' क्षेत्र के लिए साठ–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने का प्रावधान है।
3. समय–समय पर आयोजित होने वाली हिन्दी राजभाषा सम्बन्धी कार्याशालाओं/वेबिनारों में अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हों तो हिन्दी में कार्य करने की कठिनाइयां दूर होंगी।
4. फाइलों में टिप्पणियां, प्रारूप आदि हिन्दी में लिखने की कोशिश सभी अनुभागों में होनी चाहिए।

दिनेश कुमारी

नोडल अधिकारी

"शायद हममें कुछ ऐसे आदमी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिंदीवाले हमारी मातृभाषा को छुड़ाकर उसके स्थान में हिंदी रखवाना चाहते हैं। यह भी निराधार भ्रम है। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाए। अपनी माता से भी ज्यादा प्यारी मातृभाषा बंगला को तो हम कदापि नहीं छोड़ सकते, किन्तु भारत के विभिन्न प्रांतों के भाइयों से बातचीत करने के लिए हिंदी या हिंदुस्तानी तो सीखनी ही चाहिए। स्वाधीन भारत के नवयुवकों को हिंदी के अतिरिक्त जर्मन, फ्रैंच आदि यूरोपीय भाषाओं में ऐसी एक–दो सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों का विचार है कि बंगला राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि इसमें उच्च कोटि का साहित्य है। हिंदी में उच्च साहित्य है अथवा नहीं, यह विवादग्रस्त विषय उठाना ठीक नहीं है। हिंदी व्यापक रूप से भारत में बोली जाती है और इसमें संग्रहण शक्ति है तथा यह सरल है।"

–सुभाष चन्द्र बोस

समाज में एक प्रतिशत योगदान का महत्व

क्या आपने सोचा 1 प्रतिशत का मूल्य क्या है? शायद कुछ भी नहीं ? या बड़ा और विशाल नहीं ? क्या हम भारत के लोग 1 प्रतिशत का मूल्य समझते हैं? पूरे भारतीय समाज के प्रति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 1 प्रतिशत योगदान की सहायता से हम क्या कर सकते हैं?

आम तौर पर, हम भारतीय, बिना किसी उचित कारण के, बिना सोचे–समझे 1 प्रतिशत पैसा बर्बाद कर देते हैं। क्या हम सामूहिक रूप से प्रत्येक भारतीय के 1 प्रतिशत वित्तीय योगदान के महत्व के बारे में सोचेंगे?

यदि हम अपने बुनियादी ढांचे और अन्य सामाजिक सुविधाओं के माध्यम से मजबूत समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हम, भारत के नागरिकों को अपने स्तर पर साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर एक विचार के साथ मिलकर काम शुरू करना चाहिए। यहां, मैं प्रत्येक स्थानीय विधान सभा क्षेत्र के लोगों द्वारा 1 प्रतिशत वित्तीय योगदान का एक अनूठा और उपयुक्त विचार सुझा रहा हूं। उस क्षेत्र के नागरिकों को एक विकास समिति की स्थापना करनी चाहिए, जो कार्य करेगी और लोग ईमानदारी से अपनी मासिक आय का 1 प्रतिशत योगदान देंगे। 1 प्रतिशत वित्तीय योगदान की मदद से, हम सड़कों, गलियों, पानी की सुविधा, सीवरेज और सफाई, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर, वृक्षारोपण पुस्तकालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शारीरिक फिटनेस केंद्र, कौशल और व्यक्तित्व विकास केंद्र, छात्र मार्गदर्शन केंद्र, किताबें, नोटबुक, कपड़ा, आश्रय (गरीबों के घर), सामुदायिक केंद्र, आदि और इसी उद्देश्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के गांवों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए मासिक 1 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

यदि समाज में इस प्रकार की प्रथाओं का निर्माण किया जाएगा, तो हम स्वस्थ समाज और मनुष्य को मजबूत बनाने की स्थापना कर सकते हैं। समाज में 1 प्रतिशत आर्थिक योगदान से व्यक्ति अधिकांश रोग एवं परेशानियों से दूर हो सकता है। हर साल, हम भारतीय नियमित रूप से अपनी आय का 3 से 5 प्रतिशत से भी अधिक बेकार की गतिविधियों, जैसे रीति–रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों पर खर्च करते हैं, जो अनिवार्य नहीं है और इन्हें वरीयता देने से बचा जा सकता है। हमें इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी भी देश को एक मजबूत बुनियादी ढांचा देने में नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम समाज में 1 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ भाग लेंगे, तो हम राष्ट्र में सुव्यवस्थित और सुंदर समाज बना सकते हैं।

हम 1 प्रतिशत वित्तीय बचत की मदद से महल नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इस 1 प्रतिशत वित्तीय योगदान के साथ बेहतर और तेजस्वी समाज बना सकते हैं।

विजेंदर कुमार,
सहायक, एनसीटीई

सकारात्मक सोच और सदा खुश रहें

'सकारात्मक सोच' एक ऐसा शब्द है जिससे आज का हर व्यक्ति परिचित है। आज का प्रत्येक इंसान इसे समझता व मानता भी है लेकिन फिर भी पता नहीं हम लोग इस पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं करते हैं। हमारे मन में कहीं न कहीं नकारात्मक विचारों की श्रृंखला है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच की विशेष आवश्यकता होती है। इसके बिना इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सकारात्मक सोच के अनगिनत फायदे हैं। इसके कुछ अत्यंत प्रभावकारी लाभ हैं, जिन्हें अपनाकर खुशहाल जीवन व तरक्की की सीढ़ियां आसानी से चढ़ी जा सकती हैं।

1. सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति शरीर व मन दोनों से स्वस्थ्य रहता है।
2. जिसके मन में सदैव अच्छे विचार रहते हैं, उसे डिप्रेशन, टैंशन, तनाव व अनिद्रा जैसी बीमारियां कभी नहीं हो सकतीं, क्योंकि ये बीमारियां हमेशा नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती हैं। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए।
3. यदि किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो या बिल्कुल न हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होती है, जो कि उसके लिए जरूरी है।
4. इससे जीवन में रिश्ते मजबूत होते हैं कैसे? अब देखिये जो आदमी हर वक्त किसी की बुराई करे या किसी की चुगली करे तो ऐसे लोगों से सब दूर रहना पसंद करते हैं। यदि आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे या उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो लोग आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे।
5. सकारात्मक सोच से मनुष्य के अंदर सहन–शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है। अच्छी सोच का एक फायदा यह भी है कि इसके द्वारा व्यक्ति को अपने आप से प्यार हो जाता है। वह अपनी देखभाल अच्छी तरह से करने लगता है। नकारात्मक सोच रखने वाला अपनी तो क्या, वह किसी भी चीज की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकता।
6. सकारात्मक विचार वालों का दिमाग ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योकि गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी जल्दी फैसला लेने से दिमाग का विकास होता है। जिससे वह सही समय पर सही फैसला लेने के योग्य बनता है।

डी.एन.झा
सहायक

मानव की दुर्दशा

आज मानव की क्या दुर्दशा है?
चारों तरफ मचा हाहाकार
'कोरोना' ने आकर घेरा है।

हर तरफ पड़ी है लाशें
मानव का मानव पर
नहीं रहा भरोसा।

आज मानव की
हालत ऐसी
सड़क पर पड़ी हैं लाशें
कहाँ गयी मानव की मानवता

इंसानी लाश
कचरे की गाड़ी में
डाल ले जा रहे शमशान।

सड़क पर पड़ा इंसान
मांग रहा मदद
कोई न सुनता
प्राण पखेरू हो जाते।

अस्पतालों में नहीं जगह
भटक रहे हैं लोग
एम्बुलेंस में
हो रही मौत।

कोरोना वायरस ने
आकर ऐसा घेरा

व्यवस्था है चरमराई हुई
कोरोना वायरस ने
ऐसा आकर घेरा
आज मानव की क्या दुर्दशा है?

मंजू रावत

देश की सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली हिन्दी ही राजभाषा की अधिकारिणी है।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस

माँ तू ऐसी क्यों हैं?

सलाह देती, मश्वरा देती है
सलाह देती, मश्वरा देती है।
हज़ार गलतियों पर भी,
गलतियाँ भुला देती है।

कभी मीलों दूर होकर भी
दिलों के बेहद पास होती है
माँ तू ऐसी क्यों होती है?

प्यार की बातें सब करते हैं
प्यार की चाहतें सब करते हैं।
प्यार का असली फ़र्ज
तो माँ निभा देती है।

यूँ तो बहुत होंगी कमियां मुझमें,
सिर्फ माँ ही है जो कमियों में भी
अच्छाइयां ढूंढा करती है।
माँ तू ऐसी क्यों होती है?

संवरने की उसे
कहाँ फुर्सत होती है,
माँ बिन सजे भी बेहद खूबसूरत
होती है!

जहाँ तकलीफें सारी दूर होती हैं
कहीं और नहीं माँ
वो बस तेरी गोद है
वो बस तेरी गोद है!

औरत को हर रूप में ढलते देखा
है
कभी बहू, कभी बहन, कभी बेटी,
कभी माँ बनते देखा है!
कभी माँ बनते देखा है!

काजल खन्ना
दक्षिण क्षेत्रीय समिति

"आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक–एक दल एक–एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य–संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य सृष्टि हुई है, अपने–अपने घर में (प्रांत में) रानी बनकर रहें, प्रांत के जन–गण की हार्दिक चिंता की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की, मध्य मणि हिन्दी भारत भारतीय होकर विराजती रहे।"

रवीन्द्र नाथ टैगोर

हौसला

कोशिश करने से ही हल निकलता है
आज नहीं तो कल निकलता है।
मेहनत कर पौधों को पानी देकर
बंजर जमीन से भी फल निकलता है।

मायूस ना हो जीवन की कठिनाइयों से
ढला है जो सूरज नई सुबह निकलता है।
कर हिम्मत तू तूफानों में टकराने की
जैसे चट्टानों से भी जल निकलता है।

कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की
जो आज थमा, कल चल निकलता है।
हार कर बैठा है क्यों रख हौसला
बुलंद हौसलों से ही हर हल निकलता है।

एक पल से ही नहीं बनता सब कुछ
पल–पल मेहनत करके इंसान मंजिल पा निकलता है।

आशा/उमेश कुमार
अनुभाग अधिकारी

"यह सच है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नए विचार उसमें पैदा नहीं होते। नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं। इसलिए हमें भारत की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है और हिन्दी का तो एक विशेष स्थान है ही। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के सभी लोग अगर हिन्दी न बोल सकें तो कम से कम समझ तो सकें। मैं समझती हूं कि यह काम आगे बढ़ रहा है।"

नज़्म

तुम चाहते हो हमको, ये मालूम भी तो हो
पहुंचे कैसे संदेश, ये मालूम भी तो हो

सैलाब तेरे प्यार का उमड़ा है इस तरह
टूटे न दिल कहीं पतवार की तरह

टूटा जो कहीं दिल, रहेंगे न हम सनम
मिटने से पहले तुमको, मालूम भी तो हो

तू है मेरी गज़ल और शायरी मेरी
है तू ही मेरा भाव, अदायगी मेरी

तू ही है मेरी शाम और सुबह भी,
दिन रात तुम मेरे हो, मालूम भी तो हो

मुसाफिर हूं मैं अभी तो, जाऊंगा कब चला
नजरे कर्म का भूखा, तू कर दे कुछ भला।

आया था ले के प्यास, एक जाम ए–उल्फत की चाहत है।
बस यही तुम्हें मालूम भी तो हो।

तुम चाहते हो हमको, ये मालूम भी तो हो
पहुंचे कैसे संदेश, ये मालूम भी तो हो

अनिल कुमार
अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ (सचित्र)

1. विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14.09.2020 से 28.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, श्रुतलेखन, टिप्पण–प्रारूप लेखन, कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का आयोजन किया गया जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले विजेताओं को तत्कालीन अध्यक्ष, डॉ विनीत जोषी, महोदय द्वारा प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।

2. हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक श्रीमती केसांग यांगज़ोम शेरपा, सदस्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2021 को आयोजित की गई, जिसमें हिन्दी राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिये गये।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित एवं संविदा) को दो दिन (27.01.2021 व 28.01.2021) का हिन्दी टंकण प्रशिक्षण दिया गया।
4. राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी राजभाषा के प्रयोग को देश भर में सुगम बनाने के लिए दिनांक 21.12.2020 से 23.03.2021 के मध्य कुल 07 वेबिनारों का आयोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

   (i) प्रथम वेबिनार दिनांक 21.12.2020 को – 'एन.ई.पी. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्कोप संबंधी' विषय पर आयोजित किया गया जिसमें आंमत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(श्रीमती केसांग यांगज़ोम शेरपा, सदस्य सचिव; डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता डॉ प्रीति मिश्रा पाठक, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं द्वितीय वक्ता सुश्री प्रियंका कुमारी गर्ग, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय)

(ii) द्वितीय वेबिनार दिनांक 23.12.2020 को – 'सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में हिन्दी का महत्त्व' विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आंमत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किये। इसमें 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता प्रो. आर.पी. पाठक, एवं द्वितीय वक्ता डॉ सारिका शर्मा, डीन, शिक्षा विभाग तथा निदेशक, आई क्यू ए सी, हरियाणा)

(iii) तृतीय वेबिनार दिनांक 29.12.2020 को – 'अभियांत्रिकी के विषय में राजभाषा हिन्दी का विकास : मुद्दे एवं चुनौतियाँ' विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आंमत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता डॉ. एस.एम यादव, एवं द्वितीय वक्ता डॉ सारिका शर्मा, डीन, शिक्षा विभाग तथा निदेशक, आई क्यू ए सी, हरियाणा)

(iv) चतुर्थ वेबिनार दिनांक 05.01.2021 को – 'भारतीय संस्कृति एवं उसके संरक्षण का सशक्त माध्यम – हिन्दी भाषा', विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आमंत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

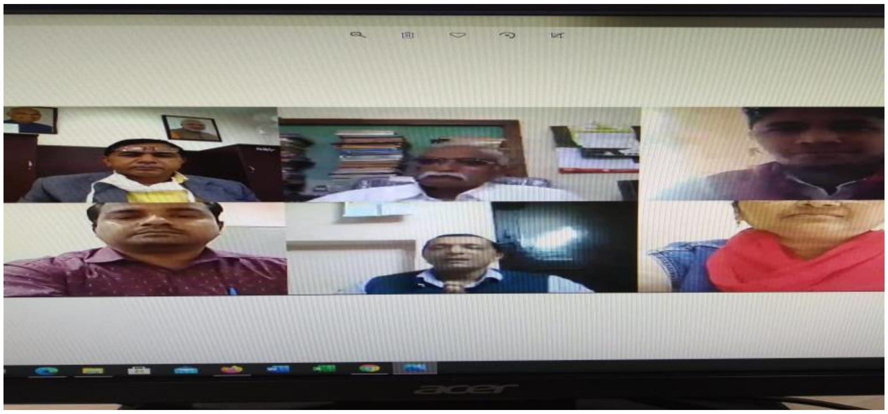

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता श्री संजीव सिंघल, शिक्षक, शक्ति फाउंडेशन विद्यालय, दिल्ली एवं द्वितीय वक्ता श्री प्रदीप रावल)

(v) पंचम वेबिनार दिनांक 09.02.2021 को – 'हिन्दी भाषा के उपयोग को दक्षिण भाषी राज्य में कैसे बढ़ाया जाय', विषय पर आयोजित किया गया जिसमें आमंत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता श्री संजीव सिंघल, शिक्षक, शक्ति फाउंडेशन विद्यालय, दिल्ली एवं द्वितीय वक्ता प्रोफेसर आर.एस.सरराजू, प्रॉफेसर, हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय)

(vi) छठा वेबिनार दिनांक 09.03.2021 को – 'गैर हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के तरीके या रणनीतिया' विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आमंत्रित दो विषय विषेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। इसमें 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

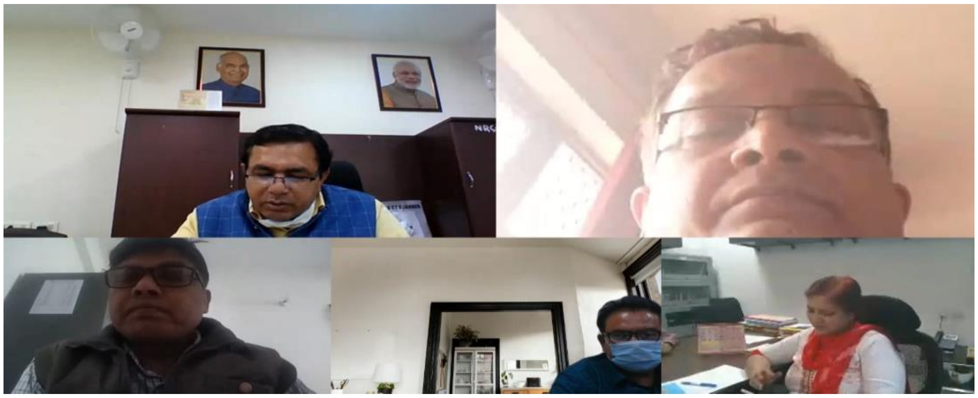

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता डा. निरंजन सहाय, प्रोफेसर, एवं द्वितीय वक्ता प्रो. अन्नपूर्णा चेरला, प्रॉफेसर, हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय)

(vii) सातवां वेबिनार दिनांक 23.03.2021 को 'हिन्दी को जनभाषा बनाने की चुनौतियाँ' विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आमंत्रित दो विषय विशेषज्ञों ने विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए और इसमें 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

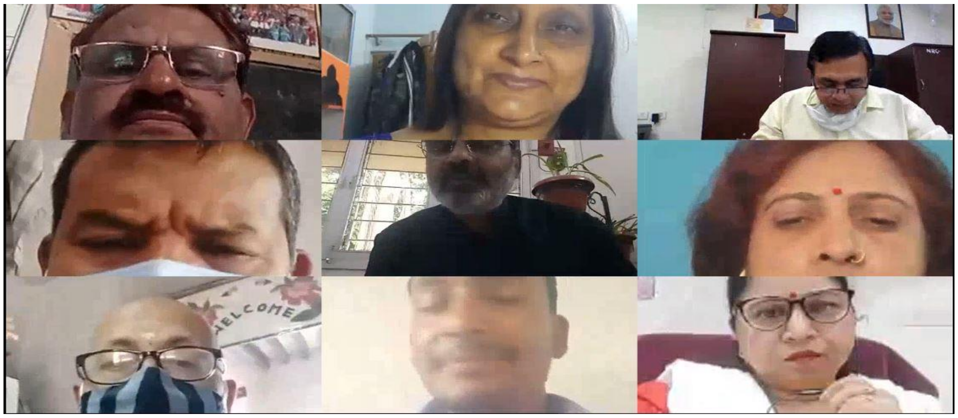

(डॉ राममूर्ति मीना, उपसचिव; प्रथम वक्ता डॉ. राघवेन्द्र प्रपन्न, सहायक प्रोफेसर, महर्षि वाल्मीकि शिक्षा महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं द्वितीय वक्ता प डॉ. रजनी अनुरागी, एसोसिएट प्रोफेसर, जानकी देवी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय)

5. दिनांक 18.03.2021 व 19.03.2021 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) एवं समस्त क्षेत्रीय समितियों के लगभग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालयीन कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। (चित्र संलग्न)

प्रशिक्षण देते हुऐ श्रीमती दिनेश कुमारी, नोडल अधिकारी, राजभाषा

प्रशिक्षण देते हुऐ डॉ. अखिल कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, राजभाषा

हिन्दी पखवाड़ा – 2021 का आयोजन

रा.अ.शि.प. में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनेक हिन्दी प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसेः– आशुभाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, टिप्पण–प्रारूप लेखन, अन्त्याक्षरी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए श्रुतलेखन प्रतियोगिता। इस श्रृंखला में एक हिन्दी कार्यशाला व वेबिनार का आयोजन भी किया जाना है।

दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर हिन्दी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। उत्तरी क्षेत्र समिति के क्षेत्रीय निदेशक श्री राममूर्ति मीना द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ इसका शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सामूहिक सरस्वती वन्दना और वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से श्री टी.प्रीतम सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, (द.क्षे.स.) तथा श्री अखिल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.स.) ने हिन्दी राजभाषा के व्यावहारिक पहलुओं पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। श्री टी.प्रीतम सिंह, जो स्वयं अहिन्दी भाषी पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबन्धित हैं, उन्होंने विशुद्ध हिन्दी में अपने प्रखर विचार व्यक्त करके सबको अचम्भित कर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी संपर्क भाषा भी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों के अलग–अलग भाषा–भाषी पारस्परिक वार्तालाप हिन्दी में ही करते हैं और हिन्दी फिल्म जगत और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। पखवाड़ा शुभारंभ कार्यक्रम का सफल संचालन नोडल अधिकारी (रा.भा.) श्रीमती दिनेश कुमारी ने किया है।

द्वितीय सत्र में आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसमें अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल के सदस्य (1) श्री टी. प्रीतम सिंह, उपसचिव (प्रशासन), (2) श्री राममूर्ति मीना, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति तथा श्री मुकेश कुमार, अवर सचिव (प्रशासन) थे।

15 सितम्बर, 2021 को "हिन्दी राजभाषा नीति तथा इसका कार्यान्वयन" विषय पर डा. अखिल कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव (रा.भा.) ने अपनी सारगर्भित प्रस्तुति में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी राजभाषा के महत्व को समझाया और इसे कार्यान्वित करने की तकनीकें बतायीं। कार्यशाला में कर्मचारियों से हिन्दी में कुछ व्यावहारिक कार्य भी कराया गया। अन्त में प्रतिभागियों के साथ प्रश्नोत्तरी का दौर भी चला, जिसमें हिन्दी में कार्य करने सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का समाधान सुझाया गया।